सं०सं०–16 / एम.1–83 / 2025

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
<u>बिहार, पटना।</u>

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग,
बिहार, पटना–800015

पटना, दिनांक–

विषयः– **खगड़िया जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध** में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 06 / 2020 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–303(आ.चि.), दिनांक–14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण / जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–744 (आ.चि.), दिनांक–19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल / सदर अस्पताल / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला संयुक्त औषधालयों / राजकीय औषधालयों / आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

अतः निम्नांकित नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि (कॉलम–4) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता हैः–

13/05/2025

D:\Annu ji\viniyaman Letter khagariya docx

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० नीरज कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलौली, खगड़िया	दिनांक– 15.03.2024 से 22.07. 2024 तक 130 दिन	शून्य	0410242505 3320	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि
2	डा० सुबोध कुमार चौधरी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौचारी गोगरी, खगड़िया	दिनांक– 16.03.2024 से 22.07. 2024 तक 129 दिन	शून्य	1611242505 6227	—	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–16/एम.1–83/2025– 760 (आ० चि०) **पटना, दिनांक–** 13.5.2026

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, खगडिया/कोषागार पदाधिकारी, खगडिया/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, खगडिया/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, खगड़िया/संबंधित सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/05/2026

सरकार के अवर सचिव

Annu

D \Annu ji\viniyaman Letter khagariya docx